फैक्स / ई–मेल / महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 141 /4–20एफ/2024, दिनांकः 07–जनवरी, 2025

विषयः–पोषक संवर्गों (लेखपाल, संग्रह अमीन, भू–अर्जन अमीन) से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयन वर्ष 2023–24 के सापेक्ष पोषक संवर्गों (लेखपाल, संग्रह अमीन, भू–अर्जन अमीन) से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 द्वारा पदोन्नति/तैनाती आदेश निर्गत किया गया है एवं चयन वर्ष 2024–25 के सापेक्ष पोषक संवर्गों (लेखपाल, संग्रह अमीन, भू–अर्जन अमीन) से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 द्वारा पदोन्नति–चयन सूची निर्गत किया गया है। उक्त चयन वर्षों के सापेक्ष तैनात/चयनित कार्मिकों को एक साथ दिनांक 16–01–2025 से राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद द्वारा निम्न आदेश प्रदान किये गये हैंः–

1– जनपद फर्रूखाबाद, हरदोई, खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, हरदोई"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

2– जनपद आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर व जौनपुर में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद आजमगढ़"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

3– जनपद मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, संतकबीरनगर, अयोध्या, सुलतानपुर व अम्बेडकरनगर में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–11–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद मऊ"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

2...

4– जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ व कौशाम्बी में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद प्रयागराज"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

5– जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद बिजनौर"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

6– जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा व बीडा में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद महोबा"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

7– जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती व सिद्धार्थनगर में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद लखनऊ"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

8– जनपद आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस व एटा में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, टुण्डला, जनपद फिरोजाबाद"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

9– जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर व रामपुर में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 द्वारा प्रोन्नत/चयनित हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद बरेली"** में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ किया जायेगा।

10– उक्त परिषदादेश दिनांक 28–10–2024 एवं 28–10–2024 के पूर्व के ऐसे राजस्व निरीक्षक जो किन्हीं कारणवश राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण अभी तक नहीं प्राप्त कर सके हैं, को भी आपके जनपद हेतु निर्धारित प्रशिक्षण विद्यालयों में दिनांक 16–01–2025 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण पर भेजने का कष्ट करें।

11– ऐसे राजस्व निरीक्षक जो एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा उनकी सेवानिवृत्त की तिथि 30–06–2025 के बाद की है, को 02 माह का लघु

प्रशिक्षण "राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, हरदोई" में दिनांक 16-01-2025 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण पर भेजने का कष्ट करें।

12— ऐसे राजस्व निरीक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30-06-2025 या इसके पूर्व की है, उन्हें लघु प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

13— ऐसे राजस्व निरीक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30-06-2025 है, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

14— प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके लिये आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

15— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 परिषद के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में अपने जनपदों के सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों को प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित तिथि के एक दिन पूर्व अवमुक्त करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि उक्त राजस्व निरीक्षक नियत तिथि पर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण कराने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2— जिलाधिकारी, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, बिजनौर, महोबा, लखनऊ, फिरोजाबाद एवं बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही /तैयारी हेतु अपने जनपद के मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य, को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

3— निदेशक, राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परिषद के आदेशानुसार नियत तिथि से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करते हुए परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

4— प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, बिजनौर, महोबा, लखनऊ, फिरोजाबाद एवं बरेली को इस आदेश के साथ प्रेषित कि परिषद के आदेशानुसार नियत तिथि से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करते हुए परिषद को अवगत करायें।

5— प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग—3, लखनऊ।

6— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, कम्प्यूटर सेल, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पत्र की प्रति परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।